जंतुओं पर अत्याचार के लिए वैज्ञानिकों को सज़ा

इटली की एक अदालत ने एक कंपनी के तीन कर्मचारियों को साल-साल भर की कैद की सज़ा सुनाई है। इन पर आरोप है कि इन्होंने पशुओं के साथ क्रूरता का व्यवहार किया। यह फैसला उत्तरी इटली के शहर ब्रेसिया की एक अदालत ने 23 जनवरी को सुनाया है।

ब्रेसिया के निकट मॉन्टिचिएरी में स्थित ग्रीन हिल फेसिलिटी के निदेशक रॉबर्टो ब्रेवी को एक साल की सज़ा सुनाई गई है जबकि दो अन्य कर्मचारियों को डेढ़-डेढ़ साल की। यह फेसिलिटी एक अमरीकी जंतु प्रजनक कंपनी मार्शल बायो-रिसोर्स के स्वामित्व में है।

वर्ष 2012 में इटली के एक जंतु-प्रयोग विरोधी समूह *एंटी-विविसेक्शन लीग* और *लेगामबिएंट* नामक एक अन्य समूह ने आरोप लगाया था कि इस केंद्र में जंतुओं के साथ क्रूरता का व्यवहार होता है। उस समय इस केंद्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। स्थानीय अदालत ने *एंटी-विविसेक्शन लीग* और *लेगामबिएन्ट* को इजाज़त दी थी कि वे इस केंद्र के जंतुओं को अन्य सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दें। इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई थी।

मई 2013 में ब्रेसिया की अदालत ने अपने फैसले में ग्रीन हिल केंद्र को जंतुओं पर अत्याचार के आरोपों से बरी कर दिया था। मगर सरकार ने इस फैसले के विरुद्ध अपील की और उसी का परिणाम है कि केंद्र के तीन लोगों को जंतुओं के साथ क्रूरता के जुर्म में सज़ा सुनाई गई है।

एंटी-विविसेक्शन लीग ने कहा है कि फैसला जंतु अधिकारों के संदर्भ में एक बड़ी जीत है मगर जो सज़ा दी गई है वह बहुत कम है। दूसरी ओर, अनुसंधान समर्थक समूहों ने इस फैसले पर आश्चर्य ज़ाहिर किया है। मसलन, वैज्ञानिक अनुसंधान समर्थक समूह *प्रो-टेस्ट इटालिया* ने इस फैसले पर चिंता व्यक्त की है। उनके मुताबिक यह इटली में चल रहे जैव-चिकित्सकीय शोध पर एक बड़ा हमला है।

कुत्तों का उपयोग नई दवाइयों के परीक्षण तथा बुनियादी जैव-चिकित्सकीय अनुसंधान में किया जाता है। खास तौर से हृदय रोगों तथा मधुमेह के अध्ययन में कुत्तों का उपयोग होता है। फिर भी वैज्ञानिक अनुसंधान में जितने जंतुओं का इस्तेमाल होता है उसमें कुत्ते मात्र 0.25 प्रतिशत ही होते हैं। ***(स्रोत फीचर्स)***